मु०नं० 63/17 ता०रजू 7-9-17, उनवान सरकार / बीरबल निरस्त आ०धा० 14(4)

8/8

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उप0। राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम ढून्डा में दिनांक 05/11/75 को भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आदेश अर्न्तगत नियम 14(4) के अर्न्तगत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अपीलान्ट की और से आलोच्य आदेश अपने प्रार्थना पत्र 14(4) के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे की यह सिद्व हो सके कि रेस्पों0 को ग्राम ढून्डा में आराजी खं0नं0 476 रकबा 0.41 है0 एवं खं0नं0 661/451 रकबा 0.21 है0 भूमि आवंटन हुई है। परिणामतयः आलोच्य प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण होने से इस स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त वाद आराजीयात के निर्णय की प्रति संलग्न कर नये सिरे से पुनः प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुभार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखील दफ्तर की जावे।	